


14

आरटीआई अर्जी RTI ACT 2005

TO, CPIO RTI
KANDLA SPECIAL ECONOMIC ZONE
DEVELOPMENT COMMISSIONER OFFICE
GANDHIDHAM KUTCH PIN-370230



नाम और पता

NAVIN RAMJI BHAJ DEVARIYA
PLOT NO- 295, JAKHDAMBA SOCIETY,
VILL- KIDANA, KANDHEDHAM
PIN- 370 205

Chin Loken
Pl. write
to SO
15/5/19

विषय : अर्जदार के मानगो की मुताबिक सूचना प्रदान करें.....

मिशन फरमा लॉजिस्टिक कंपनी ने मेरे गेट पास बनाने के लिए जो फॉर्म जमा किया हो तथा फॉर्म के संदर्भ में कांडला स्पेशल इकोनामिक जोन के कार्यालय ने जो गेट पास जारी किया हो कंप्यूटराइज उसकी 5 हू कॉपी नकल प्रदान की जाए मिशन फरमा लॉजिस्टिक कंपनी ने JAN-2010 से DEC-2014 के समय के भीतर गेट पास बनाने का जाँ फॉर्म सबमिट किया हो और स्पेशल इकोनामिक जोन कार्यालय ने जो गेट पास कंप्यूटर सिस्टम के जरिए तैयार करके प्रदान किया हो जारी किया उसकी 5 हू कॉपी नकल सौंपी जाए कृपा करके गेट पास संबंधित मेरी सूचना जल्द से जल्द प्रदान करें ऐसी विनंती.....

मांगी गई सूचना अर्जदार को उनके ईमेल ऐड्रेस rameshtharu@rediffmail.com पर स्कैन करके भेजी जाए लिखित स्वरूप में



(NAVIN RAMJI BHAJ DEVARIYA)

POSTAL ORDER NO 39F 449848 रुपये 10 सहित है

13/5/19
आवक लिपिकी
क.वि.अ.प.प.न.



KASEZ

विकास आयुक्त का कार्यालय

कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

गांधीधाम - कच्छ-370230

Phone (02836)-253300, 252475, 252273

Fax (02836) - 252250 & 252194

E-mail: admn.kasez-gj@gov.in

Website: www.kasez.gov.in

फा.सं. KASEZ/ RTI/14/2019-20/307

दिनांक: 28.05.2019

24

By Speed Post

सेवा में,
श्री नवीन रामजीभाई देवरिया,
प्लोट न. - 295, जगदम्बा सोसाइटी,
गाँव- किडाणा, गांधीधाम- 370205

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में.

महोदय

कृपया उपरोक्त विषय पर आप अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांक 13.05.2019 का सन्दर्भ ले, जो इस कार्यालय में दिनांक 14.05.2019 को प्राप्त हुआ है।

इस सन्दर्भ में, सम्बंधित शाखा/अनुभाग से प्राप्त वांछित सूचना के अनुसार, आपको यह सूचित किया जाता है कि 2014 से पहले की अवधि के लिए फॉर्म/गेट पास का रिकॉर्ड इस कार्यालय के पास नहीं है।

उपरोक्त सूचना आपको सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन - 7 के तहत दी जा रही है। अगर आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 19(1) के तहत आप प्रथम अपील विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम(कच्छ) -370230 के समक्ष कर सकते हैं।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

उपायुक्त (सीमाशुल्क)/सी.पी.आई.ओ.

कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,

गांधीधाम